झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

पंचम् (बजट) सत्र

वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 01 चैत्र, 1943 (श0) / 22 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
"क"	169–अ0स0–74	श्री सरयू राय,	कार्रवाई करना	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.2021

नोट :– "क"– 169, दिनांक–15.03.2021 को सदन द्वारा दिनांक–22.03.2021 के लिए स्थगित।

रांची।
दिनांक–22 मार्च,2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–01/2021– 1134 /वि0स0,रांची,दिनांक–18/3/21

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्य—झा0वि0स0 प्रश्न–01/2021–1434 /वि0स0,रांची,दिनांक–18/3/21

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– –झा0वि0स0 प्रश्न–01/2021–1434 /वि0स0,रांची,दिनांक–18/3/21

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को, सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

18/03/2021

राय/

सत्यमेव जयते

पंचम

झारखण्ड विधान–सभा

पंचम् (बजट) सत्र

अल्प–सूचित प्रश्न

वर्ग–1

सोमवार,दिनांक---------- 01 चैत्र,1943 (श0)
22 मार्च,2021 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या–01 (एक)

1 – गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	–	01
कुल योग–		01

क्र० 169- श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–74 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच झारखण्ड पुलिस के विशेष शाखा का एक अवैध कार्यालय मुख्यालय में चल रहा था, जहाँ से एक गैर सरकारी व्यक्ति विशेष शाखा की अनधिकृत गतिविधियाँ संचालित कर रहा था और उसे विभाग द्वारा तमाम सुविधायें दी जा रही थी ;	अस्वीकारात्मक। तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के द्वारा माह नवंबर 2017 एवं माह जनवरी 2018 में सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार से लिखित अनुरोध कर विशेष शाखा के कार्य हेतु दो सरकारी भवन माह फरवरी–2018 में आवंटित कराये गये थे, जिनमें से एक भवन में विशेष शाखा का कार्यालय चल रहा था और दूसरे भवन में एक गैर सरकारी व्यक्ति आवासित था। किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा विशेष शाखा की अनाधिकृत गतिविधियाँ संचालित किये जाने के संबंध में कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। उक्त गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा कुछ सरकारी सुविधाओं का उपयोग किये जाने के संबंध में कुछ तथ्य सामने आये हैं, जिनकी समीक्षा पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि ऐसी ही गतिविधियाँ उस समय पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी.) में भी चल रही थी, जहाँ फ़ोन टेपिंग एवं अन्य अनधिकृत कार्य संचालित हो रहा था ;	इस संबंध में डोरण्डा थाना काण्ड संख्या–189/20, दिनांक–18.07.2020 दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान अंतर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि 2020 में विशेष शाखा और सी.आई.डी. में चल रही अवैध गतिविधियों पर सरकार ने रोक लगा दिया, जाँच में इसे सही पाया, परंतु दोषियों पर अबतक कार्रवाई नहीं हुई ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विशेष शाखा में अवैध गतिविधि की कोई सूचना नहीं है। इस संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा डोरण्डा थाना काण्ड संख्या–189/20, दिनांक 18.07.2020 धारा–166/167 /418/120बी० भा०द०वि० का अनुसंधान किया जा रहा है। यह काण्ड वर्तमान में अनुसंधान अंतर्गत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुलिस मुख्यालय में अवैध गतिविधियाँ चलाने वालों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–14/2021–1515../ राँची, दिनांक– 14/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1061, दिनांक–07.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 01 चैत्र, 1943 (श0) ..... को 22 मार्च, 2021 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गयी सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
264.	अ0सू0–81	श्री विनोद कुमार सिंह	C.D. Ratio बढ़ाना	योजना– सह वित्त	10.03.2021
265.	अ0सू0–90	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	मुख्य धारा से जोड़ना	कार्मिक, प्र0सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021
266.	अ0सू0–85	श्री सरयू राय	कार्रवाई करना	वाणिज्यकर	10.03.2021
267.	अ0सू0–91	श्री कमलेश कुमार सिंह	प्रोन्नति देना	कार्मिक, प्र0सुधार तथा राजभाषा	12.03.2021
268.	अ0सू0–97	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	संसाधन उपलब्ध कराना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.03.2021
269.	अ0सू0–98	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	प्रोन्नति देना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.03.2021
270.	अ0सू0–96	डॉ0 लम्बोदर महतो	अनुशंसा करना	कार्मिक, प्र0सुधार तथा राजभाषा	15.03.2021
271.	अ0सू0–79	श्री प्रदीप यादव	नियमित करना	कार्मिक, प्र0सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021
272.	अ0सू0–93	श्री कमलेश कुमार सिंह	प्रोन्नति देना	कार्मिक, प्र0सुधार तथा राजभाषा	12.03.2021
273.	अ0सू0–89	डॉ0 लम्बोदर महतो	अवनदगी का गठन	कार्मिक, प्र0सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021

* अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित।

01	02	03	04	05	06
274.	अ0सू0-92	श्री मनीष जायसवाल	अवकाश देना	कार्मिक,प्र0सुधार तथा राजभाषा	12.03.2021
275.	अ0सू0-83	श्री विनोद कुमार सिंह	OPEN जेल में स्थानान्तरित करना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.03.2021

राँची
दिनांक-22 मार्च, 2021ई0

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0 प्रश्न-01/2021-....1435...../वि0स0, राँची, दिनांक-18/3/21

प्रति :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0 प्रश्न-01/2021-....1435...../वि0स0, राँची, दिनांक-18/3/2

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0 प्रश्न-01/2021-....1435...../वि0स0, राँची, दिनांक-18/3/

प्रति :- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/03/2021

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

18/03/2021

* अतिजना-सह-वित्त विभाग में स्थानांतरित।

(264)

श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 22.03.2021 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 81 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019–20 में झारखण्ड में लीड बैंक की C.D. Ratio 41.0%, क्षेत्रीय बैंक का 40.1%, कोपरेटिव बैंक की 16.7% एवं अन्य सार्वजनिक बैंक 33.4% रहा है;	वर्ष 2019–20 में झारखण्ड में लीड बैंक बैंक ऑफ इंडिया का C.D. Ratio 24.24%, क्षेत्रीय बैंक का 40.09%, कोपरेटिव बैंक का 16.69% एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों कर C.D. Ratio 33.38% रहा है। ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) बैंकों में कुल उधार तथा कुल जमा का अनुपात है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र संख्या FIDD.CO.LBS.BC.No.2/02.01.001/2018-19 दिनांक 02 जुलाई 2018 में ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी बैंक शाखाओं के लिए C.D. Ratio 60% रखने का सलाह दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि यह अनुपात रिजर्व बैंक के निर्देश से 60% से कम रहा है, जो दर्शाता है कि झारखण्ड के नागरिकों को बैंकों से पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा है;	स्वीकारात्मक इस वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर 2020 तक पूर्वी सिंहभूम जिले का C.D. Ratio 69.61% है। सरायकेला–खरसावां, राँची, पलामू, पाकुड़, धनबाद जिले का C.D. Ratio 40% से अधिक है तथा अन्य जिलों का C.D. Ratio 40% से कम है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आर्थिक सुदृढ़ता हेतु C.D. Ratio बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	राज्य सरकार इस मामले को बैंकों के उच्च अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक तथा अन्य बैठकों में गंभीरता से लेती है एवं सभी बैंकों को निरंतर C.D. Ratio को बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश देती है। साथ ही जिन जिलों में C.D. Ratio 40% कम है, उन सभी जिलों में जिला योजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति की विशेष सब–कमेटी की बैठक आयोजित कर बैंकों को C.D. Ratio को बढ़ाने हेतु उचित दिशा निर्देश दिये जाते हैं।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक: 10 / वि0स0(4)–24 / 2021: 110 / राँची, दिनांक: 19/03/2021 /

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1197 / वि0स0 दिनांक 10.03.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2021

(अमरेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(265)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स० द्वारा दिनांक –22.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०– अ०सू०–90 का उत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में भुईया, मुसहर, रजवार, तुरी, धासी, निर्धा, नट, स्वांसी, दबगर, धोबी, भोगता, पासी आदि अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। निर्धा जाति झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जाति के लोग आज भी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहे है ;	अस्वीकारात्मक। विभाग के द्वारा इनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु निम्न योजनाएँ संचालित हैं :– 1. छात्रवृति योजना– (क) प्री–मैट्रिक (ख) पोस्ट–मैट्रिक 2. साईकिल योजना 3.मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 4. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 5. चिकित्सा सहायता योजना 6. विधिक सहायता योजना 7. अनु० जाति/अनु०जनजाति अत्याचार निवारण योजना 8. छात्रावास योजना 9. विशेष केन्द्रीय सहायता–अनुसूचित जाति उप योजना 10. कौशल विकास योजना 11. आय संवर्धन एवं आजीविका विकास योजना 12. सस्ते दर पर अनुदान सहित ऋण योजना इसके अतिरिक्त 23 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि नीति आयोग के परामर्श से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निरंतर नीतिगत कदम उठाने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी आजतक उक्त जाति के लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है ;	अस्वीकारात्मक। विभागान्तर्गत संचालित उपरोक्त योजनाओं के द्वारा इन्हें आच्छादित करते हुए इनके कल्याण एवं विकास हेतु कार्य किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार के तर्ज पर उक्त जातियों को महादलित वर्ग में शामिल करने एवं महादलित आयोग का गठन कर इनका सर्वांगीण विकास करते हुए समानता का अधिकार देकर मुख्यधारा से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में अंकित योजनाओं के माध्यम से इनका सर्वांगीण विकास किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:– 06/वि०स०अल्प०सू०–03/21– 828 राँची, दिनांक:– 19/3/21

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 1185, दिनांक–10.03.202 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/21

(वन्दना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 06/वि०स०अल्प०सू०–03/21– 828 राँची, दिनांक:– 19/3/21

प्रतिलिपि– अपर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार को उनके पत्रांक–656, दिनांक–15.03.2021 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

19/03/21

सरकार के उप सचिव।

266

श्री सरयू राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.03.2021 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–85 / का उत्तर–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य स्थापना दिवस 2016 के दिन स्कूली छात्र– छात्राओं के बीच वितरण के लिए टॉफी की आपूर्ति "लाला इन्टरप्राईजेज" जमशेदपुर ने तथा रू0 5 करोड़ का टी– शर्ट की आपूर्ति कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना ने किया था;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि "लाला इन्टरप्राईजेज" ने वाणिज्य–कर विभाग को इस मद में 14.5 प्रतिशत वैट का भुगतान कर दिया है, परन्तु उसने वाणिज्य–कर विभाग को सौंपी गई क्रय–बिक्रय की वार्षिक विवरणी में टॉफी के क्रय या बिक्रय का उल्लेख नहीं है और न ही इसने विभाग से रोड परमिट लिया है;	स्वीकारात्मक। वाणिज्य–कर विभाग के जमशेदपुर अंचल के पदाधिकारियों द्वारा संपूर्ण मामले की जाँच की गई। जाँचोपरांत सर्वश्री लाला इन्टरप्राईजेज के विरूद्ध JVAT Act, 2005 की धारा–40 एवं JVAT Rules 2006 के नियम 42(2) के उल्लंघन हेतु विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी। सुनवाई के क्रम में लेखा पुस्त एवं दाखिल विवरणियों में विसंगतियाँ, candy की बिक्री छिपाई गयी मानते हुये तथा राज्यान्तर्गत मालों के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र (रोड परमिट) के संव्यवहार नहीं करने के कारण धारा 40 एवं नियम 66 के अन्तर्गत अर्थदण्ड सहित कुल कर की राशि रू0 17,01,500 / – अधिरोपित किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि कुडु फैब्रिक्स, ने भी लुधियाना से राँची, धनबाद, जमशेदपुर में टी–शर्ट आपूर्ति करने के लिए झारखण्ड सहित अन्य राज्यों से रोड परमिट नहीं लिया है;	सर्वश्री कुडु फैब्रिक्स, लुधियाना, टिन–03711004631, पंजाब में निबंधित है। इस व्यवसायी को झारखण्ड राज्य में रोड परमिट निर्गत नहीं किया गया है। अन्य राज्यों में उक्त व्यवसायी को रोड परमिट निर्गमन एवं उनके द्वारा निर्गत Invoice के सत्यापन हेतु वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड द्वारा पंजाब सरकार के वाणिज्य–कर विभाग से अनुरोध किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन फर्जी आपूर्तिकर्ताओं तथा इन्हें संरक्षण देने वाले के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वाणिज्य–कर विभाग के जमशेदपुर के पदाधिकारियों द्वारा मामले की जाँच की गई है और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड सहित करारोपण किया गया है। पंजाब सरकार के वाणिज्य–कर विभाग से सर्वश्री कुडु फेब्रिक्स द्वारा की गई टी–शर्ट की आपूर्ति से संबंधित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक–वा० कर / वि.मं. / 4 / 2021 – 838 /राँची, दिनांक– 19/03/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उत्तर की 200 प्रतियाँ उनके ज्ञाप संख्या 1196 दिनांक 10.03.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.21
(अखिलेश शर्मा)
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

267

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–91 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय पर प्रोन्नति नहीं मिल पाती है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि किसी सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबंधित सेवा नियमावली के प्रावधानों के अधीन प्रोन्नति दी जाती है।
2	क्या यह बात सही है, कि समय पर प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, फलस्वरुप कार्य के प्रति उदासीन हो जाते है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी विभागों में स समय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमानुसार प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं0–8752, दिनांक–24.12.2020 के द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। उक्त रोक समाप्त होने के उपरांत नियमानुसार प्रोन्नति की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / ज्ञा0वि0स0–07–26 / 2021 का०– 1727 / रांची, दिनांक 18/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–1226 वि0स0, दिनांक–12.03.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सत्य नारायण)
सरकार के अवर सचिव।

(268)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–97 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिहार प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 तथा बिहार प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स रूल 1959 झारखण्ड राज्य के गठन के साथ ही स्वतः प्रभावी हो गया है तथा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बाद जे.जे. एक्ट (Juvenile Justice Act, 2000) तथा अब आई.पी.सी.एस (Integrated Child Protection Scheme, 2011) आदि ने प्राबेशन पदाधिकारियों के कार्य को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है तथा उनकी जिम्मेदारियाँ काफी बढ़ गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य प्रोबेशन सेवा कार्य न्यायालय और कारा के अन्तर्गत फील्ड वर्क से संबंधित है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अन्तर्गत पूर्व दण्डादेश जाँच, सुपरवीजन का कार्य एवं काराओं से संबंधित असमय कारा मुक्ति जाँच, पेरोल जाँच, पीड़ित जाँच, असमय कारा मुक्ति के उपरान्त रिहा किए गये बंदियों तथा किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रेषित मुकदमों के संबंध में सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रोबेशन कार्यालयों के पास अपना कार्यालय भवन और पदाधिकारियों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है तथा फील्ड वर्क के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं है, जिससे क्षेत्र भ्रमण के दौरान असुरक्षा की भावना बनी रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पदाधिकारियों के लिए कार्यालय भवन उपलब्ध है। सरकारी आवास तथा सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप इन्हें आवास भत्ता एवं निरीक्षण हेतु किए गए यात्रा हेतु यात्रा भत्ता नियमानुसार भुगतान किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रोबेशन कार्यालयों के लिए कार्यालय भवन एवं पदाधिकारियों के लिए सरकारी आवास तथा संबंधित कार्यालयों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–16 / 2021– 1624 / राँची, दिनांक–20 / 03 / 2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1352, दिनांक–15.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(269)

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–98 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य घोर नक्शल प्रभावित है, जिसमें नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था सुरक्षा बनाये रखने में पुलिस अधीक्षकों की अहम भूमिका होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के मात्र 13 जिले घोर नक्सल प्रभावित हैं। जिलों में नियंत्रण, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने में अन्य पदाधिकारियों के साथ–साथ पुलिस अधीक्षकों की भी अहम भूमिका होती है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में अभी 24 पुलिस अधीक्षकों का पद रिक्त है, जिसके लिए सरकार द्वारा एस.पी.एस. कोटा के लिए पदोन्नति हेतु राज्य के योग्य पुलिस पदाधिकारी को यू.पी.एस.सी. का प्रस्ताव भेजने का प्रावधान है, जो वर्ष 2016 से आज तक लंबित रखा गया है, जबकि राज्य में 42 पुलिस पदाधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु योग्यता रखते हैं ;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक पदस्थापित है। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग (यू०पी०एस०सी०) को प्रस्ताव भेजने का प्रावधान है। चयन वर्ष 2016 के लिए योग्य पदाधिकारी की भा०पु०से० में नियुक्ति की जा चुकी है। चयन वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चयन वर्ष 2017 एवं 2018 के लिए अब तक सिर्फ 04 पदाधिकारी विचारण क्षेत्र के लिए अर्हता पूर्ण करते हैं जबकि चयन वर्ष 2019 के लिए 15 पदाधिकारी विचारण क्षेत्र में आयेगें।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु एस.पी.एस. कोटा के तहत् पदोन्नति हेतु यू.पी.एस.सी. को प्रस्ताव भेजकर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

झापांक–13 / वि०स०–103 / 2021– 1623 / राँची, दिनांक–20 / 03 / 2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके झापांक–1351, दिनांक–15.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

270

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–96 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में निवासरत आदिम जाति कुड़मी/कुरमी अखंड भारत के प्रथम जनगणना में **Jhari tribes or wood Tribes के रूप चिन्हित किया गया था;**	अस्वीकारात्मक। डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनगणना–1872 में jhari tribes or wood tribes के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है बल्कि Jhari Kurmi or Kurmi of the woods के रूप में उल्लेखित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के आदिम जाति कुड़मी/कुरमी छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के अन्तर्गत है और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 से अलग रखा गया है लेकिन 1951 की जनगणना की सूची में आदिम जाति कुड़मी/कुरमी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया जिसके कारण राज्य सरकार के द्वारा कुड़मी/कुरमी को अनुसूचित जनजाति की सूची में अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है;	अंशतः स्वीकारात्मक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–1891, दिनांक–18.06.2012 के अनुसार कुरमी (महतो) छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, 1908 के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है। उक्त सूची में आदिम जाति कुड़मी/कुरमी सूचीबद्ध नहीं है। डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के पत्रांक–774, दिनांक–18.07.2019 के साथ संलग्न गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित अधिसूचना सं0–550, दिनांक–02.05.2013 के अनुसार "In exercise of the power conferred by section 332 of the Indian Succession Act, 1865 (X of 1865) the Governor General in Council is pleased to exempt all Mundas, Oraons, Santals, Hos, Bhumij, Kharias, Ghasis, Gonds, Kandhs, Korwas, Kurmis, Male Saurias, and Pans, dwelling in the Province of Bihar and Orissa from the operation of the provisions of the Act retrosepectively from the passing of the Act." 1951 की जनगणना से संबंधित अभिलेख/आंकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में निवासरत कुड़मी/कुरमी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के पत्रांक–864, दिनांक–23.11.2020 के माध्यम से प्राप्त वर्ष 2020 के प्रतिवेदन के अनुसार "इनमें आदिम विशेषताओं का अभाव है। वर्तमान समय में ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत मजबूत हैं। अन्य समुदाय के लोगों के साथ सम्पर्क करने में संकोचन बिल्कुल नहीं है। उनके बीच छुआछूत जैसी सामाजिक कलंक भी नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वर्तमान परिवेश में झारखण्ड राज्य में निवासरत कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति को यथास्थिति बनाये रखने की आवश्यकता है।"

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–28/2021 का०–1796 / राँची, दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–1353 वि0स0, दिनांक–15.03.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2021

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(271)

माननीय स०वि०स० श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 22.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–79 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के द्वारा गठित सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 के आलोक में दिनांक–20/09/2019 को आधार तिथि मानते हुए कर्मियों से आवेदन की माँग की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा के स्थापना शाखा द्वारा भी इस हेतु एक विज्ञापन उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से इसकी आम सूचना दी गई थी;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि इसी संदर्भ में गोड्डा के 12 चतुर्थवर्गीय अनियमित कर्मियों (मनोज कुमार, प्रदीप कुमार एवं अन्यान्य) ने भी सभी प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन समर्पित किया था जो अभी तक कार्मिक विभाग में लंबित पड़ा है;	अस्वीकारात्मक। प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका की अध्यक्षता में गठित सेवा नियमितीकरण समिति द्वारा गोड्डा के 12 चतुर्थवर्गीय अनियमित कर्मियों (मनोज कुमार, प्रदीप कुमार एवं अन्यान्य) की सेवा नियमितीकरण हेतु अनुशंसित प्रस्ताव 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित)' के प्रावधानों के आलोक में संबंधित प्रशासी विभाग के माध्यम से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में प्राप्त नहीं है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1751 दिनांक–19.03.2021 के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को संबंधित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 (यथा संशोधित)' के प्रावधानों के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोड्डा जिला के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–18/2021 का.–1797 /राँची, दिनांक–20/3/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1191 दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एच० के० सुधांशु)
सरकार के अवर सचिव।

272

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 93 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में अपर समाहर्त्ता के स्वीकृत लगभग 250 पदों के विरूद्ध मात्र 75 पद पर ही अपर समाहर्त्ता कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या 6744 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता कोटि में कुल 239 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध सम्प्रति 61 पदाधिकारी कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है खण्ड–1 में वर्णित अपर समाहर्त्ता का पद प्रोन्नति के अभाव में रिक्त पड़ा हुआ है, जिसे प्रभार के सहारे काम चलाया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अर्हताधारक अधिकारियों की नियमानुसार प्रोन्नति देकर अपर समाहर्त्ता के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 25.09.2020 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अर्हताधारक पदाधिकारियों की प्रोन्नति की अनुशंसा पर अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय परिपत्र संख्या 5511 दिनांक 03.11.2020 के अनुसार प्रोन्नति एवं पदस्थापन की अधिसूचना साथ निर्गत करने का प्रावधान किया गया है। सम्प्रति विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा राज्य के सभी पदों पर प्रोन्नति पर रोक का आदेश प्रभावी रहने के फलस्वरूप प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत नहीं की जा सकी है। सरकार सचेष्ट है एवं प्रोन्नति पर रोक हटने के उपरांत नियमानुसार प्रोन्नति देकर अपर समाहर्त्ता के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–06/2021 का. 1725 / राँची, दिनांक 18 मार्च, 2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 1228 वि.स. दिनांक 12.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/2021
(राजकुमार मण्डल)
सरकार के उप सचिव।

274

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 22.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–92 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 के आलोक में बिहार सेवा संहिता, 1952 को संशोधन कर बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 का गठन किया गया है जिसके नियम 220 को संशोधित कर नया नियम 220 A अन्त: स्थापित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित संशोधित नया नियम 220 A अंतर्गत अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान सिर्फ दो संतान तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन–पोषण हेतु दो वर्ष (यानि 730 दिन) की शिशु देखभाल छुट्टी का प्रावधान किया गया है जिसमें महिला को उक्त छुट्टी हेतु कुल 13 मापदण्डों का निर्धारण की गई है,	स्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में खण्ड–02 का प्रावधान नहीं होने के कारण कामकाजी महिलाओं को उक्त छुट्टी से वंचित रहना पड़ता है जिससे महिलाओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	राज्य के सरकारी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश सहित अन्य कई तरह के अवकाशों की सुविधा झारखण्ड सेवा संहिता में पूर्व से ही प्रावधानित है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में महिलाओं के हित में केन्द्र एवं बिहार सरकार के तर्ज पर खण्ड 02 में वर्णित छुट्टी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के सरकारी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश सहित अन्य कई तरह के अवकाशों की सुविधा झारखण्ड सेवा संहिता में पूर्व से ही प्रावधानित है। अंकनीय है कि राज्य अंतर्गत कार्यरत सरकारी महिला कर्मचारी की संख्या लगभग 30,000 है, जो कि कुल कार्यरत सरकारी कर्मियों का 15 प्रतिशत है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा राज्यहित एवं लोकहित में समुचित निर्णय लिया जायेगा ताकि सरकारी एवं लोकहित के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

झारखण्ड सरकार
<u>योजना–सह–वित्त विभाग</u>
<u>(वित्त प्रभाग)</u>

ज्ञापांक : 10/वि•स• (4)–25/2021 904/वि०   राँची/दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं. 1227/वि०स०, दिनांक 12.03.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2021

(अखिलेश कुमार)
उप सचिव
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

(275)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–83 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि आधी से ज्यादा सजा काट चुके कैदियों को OPEN जेल में स्थानान्तरित करने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 12 से 15 साल की सजा काट चुके सैकड़ों कैदी जिनकी उम्र 60 साल से उपर हो चुकी है, उन्हें भी OPEN जेल में स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है ;	गृह विभाग की अधिसूचना संख्या–6579, दिनांक–16.11.2013 की कंडिका–05 एवं 06 में मुक्त (OPEN) कारा में प्रवेश की पात्रता एवं अपात्रता का निम्न प्रावधान है :– **1. मुक्त कारा में प्रवेश के लिये पात्रता:–** बंदी मुक्त कारा में प्रवेश पाने के पात्र होगा यदि :– (क) उसका साधारण निवास स्थान झारखण्ड राज्य होगा। (ख) वह कारा में अनुसूचित कार्यों को नियमित रूप से करता रहा हो। (ग) उसने अपने मुख्य दंडादेश की आधी अवधि परिहार को छोड़कर काट ली है। आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के मामले में उसके द्वारा कारा में 10 वर्ष की अवधि परिहार को छोड़कर काट ली है। इस अपेक्षा को शिथिल किया जा सकेगा यदि बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या वह टर्मिनल रोगों से ग्रस्त हो। (घ) Cr.P.C. की धारा 433 (A) के अंतर्गत संसीमित आजीवन सजा प्राप्त बंदियों के संबंध में 10 वर्ष की सजावधि परिहार को छोड़कर काटने के अतिरिक्त सजा देने वाले न्यायालय का मंतव्य भी खुला जेल सह पुर्नवास कैम्प में स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक होगा। (ङ) उसने अच्छा आचरण एवं व्यवहार किया हो, तथा कोई कारा अपराध न किया हो। (च) उसे छः वर्ष से कम की सजा नहीं मिली हो एवं सजा प्राप्त बंदी की आयु तीस वर्ष से कम आयु का न हो। साथ ही वह उस मामले को छोड़कर जिसमें वह सिद्धदोष हो, किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में न हो। (छ) राज्य सरकार की नीति के अनुरूप आत्मसमर्पित नक्सली बंदी। (ज) वह नियम–6 में उल्लिखित कारणों से अपात्र न हो । **2. मुक्त कारागार में प्रवेश की अपात्रता:–** बंदी मुक्त कारागार में प्रवेश के लिये अपात्र होगा यदि :– (क) वह कोर्ट मार्शल द्वारा सिद्धदोष हो । (ख) वह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एन०डी०पी०एस० अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन सिद्धदोष हो। (ग) वह बलात्कार, डकैती, रंगदारी, अपहरण, आतंकवादी गतिविधियों राज्य के विरूद्ध अपराध आदि के लिये सिद्धदोष हो। (घ) वह पूर्व नियोजित नरसंहार के लिये सिद्धदोष हो या वह वृत्तिक हत्यारा हो जो ठेके पर हत्या करने का सिद्धदोष बंदी हो। (ङ) वह कार्य स्थित लोक सेवक की हत्या का सिद्धदोष हो। (च) उसने जेल से अथवा पुलिस अभिरक्षा से पलायन किया हो अथवा किसी विधिपूर्ण अभिरक्षा से पलायन का प्रयास किया हो। (छ) वह आदतन अपराधी हो जिसे एक से अधिक दोष सिद्धियों के अधीन कारावास हुआ हो। (ज) दीवानी बंदी अथवा निरूद्ध बंदी। (झ) वह आदतन अपराधी हो जो कारा हस्तक के नियम–573 (i) के क्षेत्राधीन आता हो। उक्त प्रावधान के अनुरूप ही बंदियों के OPEN जेल में स्थानांतरित किये जाने की पात्रता तय की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार OPEN जेल की विस्तार करते हुए उक्त श्रेणी के कैदियों को OPEN जेल में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–15 / 2021–1629/ रॉंची, दिनांक–20/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1195 दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।